राजस्व अपील संख्या : 65/2023
उनवान : दिनेश व अन्य बनाम सुरेश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/2

अपीलाण्ट :–

1. दिनेश कुमार पुत्र लखमाराम
2. श्रीमती सुखी देवी पत्नी लखमाराम
3. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री लखमाराम
4. श्रीमती कमला देवी पुत्री लखमाराम जातिगण सीरवी, निवासीगण बाली, तहसील बाली, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. सुरेश कुमार पुत्र लखमाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र लखमाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बाली, तहसील बाली
3. तहसीलदार बाली तहसील कार्यालय बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2948 दिनांक 11.08.2023 जो दिनांक 24.08.2023 को तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली

–:निर्णय:–

दिनांक: 20.08.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा बाली के नामान्तरकरण संख्या 2948 दिनांक 11.08.2023 जो दिनांक 24.08.2023 को तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बाली की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2421 रकबा 2.73 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2119 रकबा 2.35 हैक्टेयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.08 हैक्टेयर खातेदार काश्तकार लखमाराम पुत्र वक्ताराम जाति सीरवी की खातेदारी में दर्ज थे। खातेदार लखमाराम ने अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 2119 रकबा 2.35 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 1.1750 हैक्टेयर का बेचान दिनांक 24.08.2021 को कर दिया, अन्य खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2124 रकबा 2.73 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2119 का रकबा 1.1750 हैक्टेयर शेष रही। श्री लखमाराम का स्वर्गवास दिनांक 18.03.2022 को हो गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार बाली के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही के लिए आवेदन किया। तहसीलदार बाली ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण संख्या 2746 दिनांक 19.07.2022 को स्वीकार कर दिया। अपीलाण्ट को इसकी जानकारी होने पर ऐतराज प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाली ने वसीयत सन्देहास्पद मानते हुए शूद्धि पत्र संख्या 67 दिनांक 28.10.2022 के जरिये राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से साठ गांठ कर दिनांक 31.07.2023 नामान्तरकरण अवैध रुप से स्वीकृत कर दिया, इसके विरुद्ध

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 65/2023

उनवान : दिनेश व अन्य बनाम सुरेश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अपीलाण्ट ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 10.08.2023 को प्राप्त की जिसकी सूचना अपीलाण्ट ने तहसील कार्यालय बाली में दी। परन्तु तहसीलदार बाली द्वारा पुनः स्थगन आदेश के रहते अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2948 दिनांक 24.08.2023 स्वीकृत कर दिया व आदेश को नही माना। इससे नाराज होकर अपीलाण्ट निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करते है।

यह है कि योग्य अधिकारी तहसीलदार बाली ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में बडी भारी कानुनी एवं वाक्याति भूल की है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिप वास्ते सबूत पेश है।

यह है कि श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के अन्तरिम स्थगन आदेश के रहते मौके की स्थिति यथावत रखे जाने का आदेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 22.09.2023 को मुकर्रर की गई। एवं पत्रावली ट्रांसफर होकर पाली को संभाग बना दिये जाने से पत्रावली पाली स्थानान्तरित की गई। जिससे 22.09.2023 के पूर्व तहसीलदार बाली को अपील के चलते अपीलाधीन नामान्तरकरण खोल कर स्वीकृत करने का रेस्पोडेण्ट संख्या 03 को कुछ भी अधिकार ही नही है। नकल स्थगन आदेश के साथ पेश है।

यह है कि अन्तरिम निषेधाज्ञा के चलते रेस्पोडेण्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने का किसी भी कानुन के तहत रेस्पोडेण्ट संख्या 3 अथवा 1 व 2 को अधिकार नही है इससे अपीलाण्ट को सख्त प्रेज्युडिस हुई व न्याय से वंचित रहे है। जिससे अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2023 को निरस्त करने योग्य है।

यह है कि रेस्पोडेण्ट आपस में सांठ गांठ किये हुए है एवं येनकेन प्रकारेण अपीलाण्ट के हक व हिस्से से वंचित रखना चाहते है व इसी आशय से अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अधिकारिता के स्थगन आदेश के होते व नामान्तरकरण विवादित होते नये सिरे से कानून व न्याय के सिद्धान्तों को ताक में रखकर स्वीकृत कर दिया जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

यह है कि अधीनस्थ अधिकारी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्थगन आदेश दिनांक 10.08.2023 को जारी होते उन्हें इसका ज्ञान होते हुए दिनांक 24.08.2023 को स्वीकृत कर दिया जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि एक माह के श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांण्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2948 दिनांक 24.08.2023 को निरस्त फरमावे।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या एक एवं दो की ओर से अपील मीमों का बिन्दुवार जवाब पेश किया कि:–

1. अपील का पद संख्या एक में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। नामान्तरकरण विधिवत स्वीकृत किया गया है।
2. अपील के पद संख्या दो में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश नामान्तरकरण खोलकर स्वीकृत करने पर नही रहा है। स्थगन आदेश में नामान्तरकरण खोलने व स्वीकृति पर कोई आदेश नही दिया गया है।
3. अपील के पद संख्या 3 में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिक आदेश की पालना में खोला गया व स्वीकृत किया गया है।
4. अपील के पद संख्या 4 में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। नामान्तरकरण विधि विरुद्ध होना गलत होना अस्वीकार है। नामान्तरकरण विधिक आदेश की पालना में खोला गया व स्वीकृत किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 65/2023
उनवान : दिनेश व अन्य बनाम सुरेश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

5. अपील के पद संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।
6. अपील के पद संख्या 6 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।
7. अपील के पद संख्या 7,8,9 विधिक होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावें।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली से आलोच्य नामान्तरकरण का मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक़्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्वर्गीय लखमाराम की तथाकथित वसीयत पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत विवादास्पद निर्णय पारित किया गया था, जिसे न्यायालय संभागीय आयुक्त में वादीगण द्वारा चुनौति दी गई है तथा अपील उक्त न्यायालय में जैर ट्रायल है। यह भी, कि न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा विवादग्रस्त आराजी के संबंध में दिनांक 10.08.2023 को स्थगन आदेश पारित किया गया है जो कि आदिनांक प्रवृत है। किन्तु तहसीलदार बाली द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना में विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2948 के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज परिवर्तित किये गये, जो कि doctrin of lis pendis का भी उल्लंघन है। अतः आलोच्य नामान्तरकरण को अपास्त फ़रमाया जाए।

इसका खण्डन करते हुए काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि तहसीलदार बाली द्वारा अपने जिस निर्णय की अनुपालना में आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2948 को स्वीकृत किया गया है, उक्त निर्णय दिनांक 31.07.2023 के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में पूर्व में ही अपील प्रस्तुत कर दी है तथा उक्त निर्णय एवं उसके अनुक्रम में दर्ज नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील सुनने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। यह भी, कि अपीलाण्ट द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण के विरुद्ध जिस स्थगन आदेश का उज़र लिया गया है, न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त द्वारा प्रदत्त उक्त स्थगन आदेश दिनांक 10.08.2023 विवादग्रस्त आराजी की मौके की यथास्थिति कायम रखने बाबत् है। राजस्व रिकॉर्ड एवं नामान्तरकरण पर पूर्वोक्त न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। अतः हस्तगत नामान्तरकरण अपील बेबुनियाद कथनों पर आधारित होने से काबिल खारिज है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण का मज़मून यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण राजस्व विविध मुकदमा संख्या 70/2023 दर्ज किया गया तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 (2) के प्रावधानान्तर्गत स्वर्गीय लखमाराम द्वारा निष्पादित तथाकथित वसीयत की तस्दीक करते हुए माफ़िक वसीयत मौजा बाली के खसरा संख्या 2124 रकबा 2.73 हैक्टेयर का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या एक एवं दो के पक्ष मे दर्ज करने का आदेश दिनांक 31.07.2023 को पारित किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाली द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 31.07.2023 को न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त जोधपुर में चुनौति प्रस्तुत की गई है, जो कि राजस्व अपील संख्या 321/2023 प्रकरण बउनवान दिनेश कुमार वगैरह बनाम सुरेश कुमार वगैरह के रुप में दर्ज होकर जैर ट्रायल है। जबकि तहसीलदार बाली के उक्त निर्णय दिनांक 31.07.2023 की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2948 दिनांक 24.08.2023 को अपीलार्थीगण द्वारा जरिए हस्तगत अपील

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 65 / 2023
उनवान : दिनेश व अन्य बनाम सुरेश व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

इस न्यायालय में चुनौति प्रस्तुत की गई है। **अर्थात् अपीलार्थीगण द्वारा एक ही प्रकरण के विरुद्ध दो अलग अलग न्यायालयों में पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई है।** आलोच्य नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 70 / 2023 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 31.07.2023 की अनुपालना में दर्ज किया गया, जैसा कि मूल नामान्तरकरण परत पर दर्ज पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी से स्पष्ट है एवं अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31.07.2023 को अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त जोधपुर में चुनौति दी गई है। **न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 31.07.2023 की वैधता के सम्बन्ध में जब उच्चतर अपीलीय न्यायालय में अपील लम्बित हो, तो उक्त निर्णय की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण की वैधता एवं औचित्य के सम्बन्ध में इस न्यायालय से कोई अन्तिम निर्णय अथवा निष्कर्षात्मक टिप्पणी करना न्यायसंगत नहीं है।**

जहाँ तक अपीलार्थीगण के इस तर्क का प्रश्न है कि आलोच्य नामान्तरकरण अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त के स्थगन आदेश दिनांक 10.08.2023 के उल्लंघन में स्वीकृत किया गया है, तो इस सम्बन्ध में अप्रार्थीपक्ष का तर्क दस्तावेजी आधार पर प्रमाणित पाया जाता है कि उक्त स्थगन आदेश में विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की बजाय केवल मौके की यथास्थिति कायम रखने के निर्देश प्रदान किये गए है।

संक्षेप में पटवार मण्डल बाली के आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2948 स्वीकृति दिनांक 24.08.2023 में हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातो के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **20.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner